न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. सांकलाराम पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज
2. शंकरलाल पुत्र हंसारामजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील शिवगंज
3. रमेशकुमार पुत्र हंसारामजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज
4. तोलाराम पुत्र हंसारामजी जाति कुम्हार, निवासी पोसालिया, तहसील- शिवगंज
5. जतीबाई पत्नी रतनाजी पुत्री हंसारामजी,जाति-कुम्हार, निवासी-अरठवाडा, तह. शिवगंज
6. राधा पत्नी रावाजी पुत्री हंसारामजी, जाति-कुम्हार, निवासी-अरठवाडा, तह. शिवगंज
7. मंशी पत्नी भीमाजी पुत्री हंसारामजी, जाति-कुम्हार निवासी-जोयला, तहसील शिवगंज
8. अमीयादेवी पत्नी हंसारामजी, जाति-कुम्हार निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज, जिला- सिरोही
2. पकीया पुत्र ओटाजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पोसालिया, तह. शिवगंज, जिला सिरोही
3. चेलाराम पुत्र ओटाजी, जाति-कुम्हार, निवासी-पोसालिया, तह. शिवगंज, जिला सिरोही
4. रता पुत्र ओटाजी, जाति- कुम्हार, निवासी-पोसालिया, तहसील-शिवगंज, जिला सिरोही
5. हजा पत्नी छोगाजी पुत्री ओटाजी, जाति कुम्हार, निवासी-धनापुरा, तहसील- सुमेरपुर, जिला पाली
6. जमनी पत्नी लुम्बाजी पुत्री ओटाजी, जाति कुम्हार, निवासी-पालड़ी एम, तह. शिवगंज
7. जसी उर्फ जशोदा पत्नी कसाजी पुत्री ओटाजी, जाति कुम्हार, निवासी- बांगसीन, तहसील- शिवगंज, जिला सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 24/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा, प्रत्यर्थी संख्या 2, 5 से 7 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा, प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की ओर से
4. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 जून, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10.04 बीघा भूमि का आपसी सहमति बंटवाड के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कि[illegible] प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या [illegible] की ओर से पेरोकार सरकार [illegible] दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपस्थित हुए एवं प्रत्यर्थी संख्या 2, 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा उपस्थित हुए तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, शिवगंज ने प्रश्नगत नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 384 में रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है जो अपीलार्थी व प्रतयर्थीगण के पूर्वज वगता जी के खातेदारी की कृषि भूमि थी। वगताजी के तीन पुत्र सांकला, हंसाराम व ओटा जी थे। वगता जी कुम्हार की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में वगताजी के तीनों पुत्र सांकलाराम, हंसाराम व ओटा जी का 1/3 - 1/3 हक हिस्सा खातेदारी का था। यह कि अपीलार्थी सांकलाराम के भाई हंसाराम जी व ओटाजी की मृत्यु हो गई है। हंसाराम जी के उत्तराधिकारी अपीलार्थी संख्या 2 से 8 है तथा ओटाजी के उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या-2 (पकीया) व लसाराम है, जिनमें से लसाराम की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार, उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी संख्या-1 एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 8 तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 का 1/3 - 1/3 हक हिस्सा खातेदारी का होता है। यह कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण की जानकारी के बिना राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर आपसी सहमति का बंटवाड बताकर तहसीलदार, शिवगंज से प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकार करवाकर कर प्रत्यर्थीगण ने स्वयं के हिस्से में 1/2 दर्ज करवा लिया तथा अपीलार्थी संख्या-1 सांकलाराम व अपीलार्थी संख्या 2 से 8 के हक में 1/4 - 1/4 हक हिस्सा दर्ज करवा लिया। जबकि अपीलार्थी सांकलाराम एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 8 तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 का उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/3 - 1/3 हक हिस्सा खातेदारी का होता है तथा मौके पर भी सभी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के अनपढ होने का फायदा उठाते हुए राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर गलत रुप से बंटवाड करवाकर स्वयं के हिस्से में रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज करवा ली, जबकि प्रत्यर्थीगण के हिस्से में केवल 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही आती हे। यह कि अपीलार्थीगण ने ऐसे बंटवाड के संबंध में कभी सहमति नही दी है एवं न ही अपीलार्थीगण को इसकी जानकारी है कि उक्त कृषि भूमि का अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड हुआ है। यदि आपसी सहमति से बंटवाड हुआ होता तो अपीलार्थी सांकलाराम व अपीलार्थी संख्या 2 से 8 के हक हिस्से में 1/3 - 1/3 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज होता। यह कि पंजीकृत दस्तावेज से ही किसी भी व्यक्ति का उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से हिस्सा कम किया जा सकता है। यह कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 08.8.2019 को प्रत्यर्थीगण द्वारा मौके पर आकर अपीलार्थीगण [illegible] कहने पर हुई कि इस भूमि में हमारा अधिक हिस्सा है, तब [illegible] की नकल हेतु दिनांक 08.8.2019 को आवेदन किया एवं दिनांक [illegible] को नकल प्राप्त होने पर

.....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नकल प्राप्त करने की अवधि को कम करते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार, शिवगंज को अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के 1/3 - 1/3 हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण पुनः दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी सांकलाराम, हंसाराम व ओटाजी के पुत्र पकीया व लसीया के मध्य उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा का आपसी सहमति अनुसार राजी खुशी बंटवाड होने पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा संतुष्ट होकर आपसी सहमति के बंटवाड को स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा आपसी सहमति के स्वीकृत बंटवाड आदेश दिनांक 10.12.2010 की पालना में हल्का पटवारी, पोसालिया आपसी सहमति के बंटवाड का नामान्तरकरण संख्या 2973 दायर किया गया, जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा बाद जांच तहसीलदार, शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण को दिनांक 10.12.2010 को स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप है। आपसी सहमति के बंटवाड के नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि अपीलार्थीगण को आपसी सहमति के बंटवाडे व उस बंटवाडे के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। सभी खातेदारों ने अपने हक हिस्से की भूमि पर मारवाड ग्रामीण बेंक, शाखा पोसालिया से दिनांक 14.7.2015 को ऋण प्राप्त किया है। उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण ने जानबूझ कर गलत तथ्यों के आधार पर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि का खातेदार पकीया, लसीया पिसरान ओटाजी, हंसा, सांकला पिसरान वगताजी के मध्य आपसी सहमति के बंटवाड का नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2019 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 08.8.2019 को जानकारी होना बताते हुए नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 08.8.2019 को आवेदन करना एवं नामान्तरकरण की नकल दि[illegible]2021 को प्राप्त होना अंकित किया है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम [illegible] तथ्यों के संबंध में प्रार्थना पत्र के साथ अपी[illegible] पत्र भी प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली के अवलोकन यह स्पष्ट है कि आपसी सहमति के बंटवाड के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 के द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि में खातेदार पकाराम, लसाराम पिसरान ओटाराम जी के हिस्से में खसरा संख्या 384/1643 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि, हंसाराम पुत्र वगताराम के हिस्से में खसरा संख्या 384/1644 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि एवं अपीलार्थी सांकलाराम के हिस्से में खसरा संख्या 384/1641 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज की गई है। हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2973 को तहसीलदार, शिवगंज के आदेश क्रमांक:राजस्व/10/395 दिनांक 10.12.2010 की पालना में दायर किया जाना अंकित किया है, लेकिन प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से तहसीलदार, शिवगंज के आदेश क्रमांक:राजस्व/10/395 दिनांक 10.12.2010 से संबंधित रेकर्ड तलब किया जाने पर तहसीलदार, शिवगंज ने पत्र क्रमांक:राजस्व/2022/2227 दिनांक 28.6.2022 से इस न्यायालय को यह अवगत करवाया है कि संबंधित रेकर्ड ढूंढा गया परन्तु कार्यालय में इस तरह का रेकर्ड उपलब्ध नही है। संबंधित मूल ही नामान्तरकरण हेतु पटवारी को भेज दी गई थी, इस कारण संबंधित रेकर्ड उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 को ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10 बीघा 4 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदार पकीया, लसीया पिसरान- ओटा जी, हंसाराम व सांकलाराम के मध्य आपसी सहमति के बंटवाड आदेश की पालना में दायर होकर स्वीकृत किया जाना नामान्तरकरण में अंकित किया है, परन्तु आपसी सहमति के बंटवाड के रेकर्ड के अभाव में यह कहना संभव नही है कि खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि के खातेदार पकीया, लसीया पिसरान ओटाजी, हंसा, सांकला पिसरान वगताजी के मध्य उक्त कृषि भूमि रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा का आपसी सहमति से बंटवाड होकर उक्त कृषि भूमि रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा में से खातेदार पकीया, लसीया पिसरान- ओटाराम जी कुम्हार के हिस्से में रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि एवं खातेदार हंसाराम के हिस्से में रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि तथा खातेदार सांकलाराम के हिस्से में रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि आपसी सहमति से रखी गई हो। ऐसी स्थिति [illegible] स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्र[illegible] त[illegible]दार, शिवगंज को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हु[illegible] करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 384/1641 रकबा 10 बीघा 4 विस्वा भूमि के आपसी सहमति बंटवाड के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 10.12.2010 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुरुप नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। साथ ही, तहसीलदार शिवगंज को यह भी निर्देश दिये जाते है कि आपसी सहमति बंटवाड से संबंधित रेकर्ड महत्वपूर्ण रेकर्ड होता है, जिसको सुरक्षित रखते का दायित्व संबंधित कार्मिक व कार्यालय को होता है, इसलिये ऐसे रेकर्ड को सुरक्षित रखा जावे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested